विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0023812

डॉ. श्री जी.सी. जैन, — **आवेदक**
अध्यक्ष,
आचार्य ज्ञान आयुर्वेद फाउण्डेशन,
आचार्यधाम, बजरंग नगर रूचि सोया के सामने,
ए.बी. रोड़, इन्दौर

विरूद्ध

मुख्य सतर्कता अधिकारी, — **अनावेदकगण**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 06.04.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0170110 डॉ. श्री जी.सी. जैन विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर में पारित आदेश दिनांक 28.05.11 से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा की गई अवैध कार्यवाही की शिकायत करते हुए फोरम से निम्नलिखित अनुतोष चाहा था :

(1) संस्था की फोर कोर 300 मीटर केबल बिना पंचनामा के माह दिसम्बर 2007 जब्त की गई फोर कोर की लगभग 300 मीटर केबल वापस दिलाई जावे ।

(2) परिवादी द्वारा जमा जुर्माने की रकम 38000/– विपक्षी से वापस दिलाई जावे ।

(3) परिवादी द्वारा जमा मीटर रिपलेसमेंट चार्ज रूपये 2650/– वापस दिलाई जावे ।

(4) परिवादी की विपक्षी द्वारा पंचनामा अनुसार दिनांक 07.01.08 को जब्त की हुई आधा एच.पी. की पानी की मोटरें, कटर मशीन एवं पालिशिंग मशीन वापस दिलाई जावे ।

(5) यह कि परिवादी द्वारा विपक्षी को जमा उपरोक्त राशियों क्रमशः रूपये 4250, 38000, 2650 कुल राशि रूपये 44900/– पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनावेदकगण से परिवादी को दिलवाया जाये ।

(6) परिवादी को विपक्षी द्वारा कृषि कनेक्शन से विद्युत बंद कर देने से परिवादी को जड़ी–बूटियों में हुई लगभग रूपये 100000/– एक लाख की आर्थिक नुकसानी हुई वह भी परिवादी को अनावेदकगण से दिलवाई जावे ।

(7) परिवादी को चोरी का मनघडंत आरोप व्यक्तिगत द्वेष से लगाया गया तथा स्टॉफ, छात्र एवं रोगियों को घोर मानसिक वेदना एवं नुकसानी बतौर रूपये 100000/– एक लाख विपक्षी से परिवादी को दिलवाया जाए ।

(8) परिवाद प्रस्तुत दिनांक से निर्णय दिनांक तक लगने वाले समस्त खर्च भी विपक्षी से परिवादी को दिलवाया जाए ।

(9) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय फोरम उचित समझे वह भी विपक्षी से परिवादी को दिलवाया जाये ।

3. उभयपक्ष को सुने जाने के बाद फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया था :–

(1) परिवादी ने सिंचाई कार्य हेतु जो अस्थायी कनेक्शन लिया तथा भुगतान किया था, जिसके लिये वह स्वयं जवाबदार है । अस्थायी कनेक्शन हेतु तीन माह के बिल राशि की गणना के बाद नियमानुसार सुरक्षानिधि उसे लौटाना चाहिए । यह कार्य एक माह में पूरा किया जावे ।

(2) परिवादी के परिसर से जब्त 300 मीटर्स फोर कोर केबल विधिवत् कार्यवाही करके लौटाया जावे, उन्होंने बिल का भुगतान अन्तिम आदेश के निर्धारण से अधिक किया है ।

(3) परिवादी द्वारा जमा रूपये 38000/– का समायोजन अन्तिम निर्धारण आदेश अनुसार करके शेष धनराशि कुल मासिक बिल में नियमानुसार लौटायी जावे ।

(4) परिवादी ने मीटर जलने की धनराशि जमा की है उसे लौटाने का कोई कारण नहीं हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग से मीटर जला है, जिसके लिये वह स्वयं जवाबदार है ।

(5) परिवादी से मीटर की डेप्रिशियेटेड कॉस्ट लेना चाहिए तथा गणना में कोई राशि लौटाना हो तो 30 दिनों में लौटायी जावे ।

(6) दिनांक 07.01.2008 को पंचनामा बनाकर परिवादी के परिसर से जब्त सामान नियमानुसार कार्यवाही पश्चात् 30 दिन में लौटावें क्योंकि उनके द्वारा अन्तिम निर्धारण आदेश के अनुसार धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

(7) 20 प्रतिशत ब्याज दर से धनराशि लौटाने बाबत् परिवादी की मांग युक्तियुक्त नहीं है, फोरम उसे अस्वीकार करता है । अन्तिम निर्धारण आदेश की धनराशि देय है और जो 04 किलोवॉट विद्युत भार अधिक पाया गया है उसके लिये फिक्स चार्जेस की बिलिंग एक वर्ष हेतु दुगुनी दर से टैरिफ प्रावधान अनुसार की जावे । यदि 09 किलोवॉट हेतु न्युनतम खपत से कम हो तो न्युनतम युनिट की टैरिफ अनुसार बिलिंग की जावे, टैरिफ में यदि कोई प्रावधान नहीं हो तो बिलिंग शून्य रहेगी ।

(8) आर्थिक नुकसान की जो बात कही है उसके निर्धारण हेतु फोरम को सिविल कोर्ट के कोई अधिकार नहीं है । अतः फोरम इस मांग को निरस्त करता है ।

(9) परिवादी के यहां टॉप रिबेट सील टूटी हुई पाई गई थी । मीटर परीक्षण उपरांत मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है । अतः सतर्कता विभाग ने बिलिंग पुनरीक्षित कर दिया है – फोरम की इसमें सहमति है । परिवादी ने विद्युत लाईन पर सीधे तार डालकर पूर्णांक में दो किलोवॉट विद्युत भार को हॉस्टल भवन निर्माण कार्य हेतु डायरेक्ट चलाया है और उसके लिए कोई कनेक्शन नहीं लिया । अतः परिवादी को जो रूपये 29381/– की बिलिंग की गई है जिसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति की गणना दुगुनी दर से की गई है । इसमें पृथक से रूपये 3000/– शमन शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं है – फोरम उसे निरस्त करता है । शमन शुल्क की राशि विशेष न्यायालय द्वारा ही शास्ति के रूप में आरोपित की जा सकती है, परन्तु यह प्रकरण विशेष न्यायालय में दायर नहीं किया गया है । अतः शमन शुल्क की राशि परिवादी से वसूल नहीं की जावे ।

(10) विपक्ष के अधिकारियों ने संस्था अध्यक्ष को जो अपशब्द कहे, फोरम उसकी निन्दा करता है तथा सचेत करता है कि भविष्य में कर्तव्य निर्वहन के दौरान संयमित व्यवहार रखकर कार्य करें, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जावे ।

4. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है उसमें निम्नलिखित अनुतोष चाहे गए हैं :–

अ. आवेदक द्वारा लिया गया 3 माह का अस्थाई सिंचाई विद्युत कनेक्शन चार्ज रूपये 4250/– वापस दिलाई जावे ।

अ.–(1) संस्था की फोर कोर 400 मीटर केबल बिना पंचनामा के माह दिसम्बर 2007 जब्त की गई फोर कोर की लगभग 400 मीटर केबल वापस दिलाई जावे ।

अ.–(2) परिवादी द्वारा जमा जुर्माने की रकम 38000/– विपक्षी से वापस दिलाई जावे ।

अ.–(3) परिवादी द्वारा जमा मीटर रिपलेसमेंट चार्ज रूपये 2650/– वापस दिलाई जावे ।

अ.–(4) परिवादी की विपक्षी द्वारा पंचनामा अनुसार दिनांक 07.01.08 को जब्त की हुई आधा एच.पी. की पानी की मोटरें, कटर मशीन एवं पालिथिंग मशीन वापस दिलाई जावे ।

(ब) यह कि परिवादी द्वारा विपक्षी को जमा उपरोक्त राशियों क्रमशः रूपये 4250, 38000, 2650 कुल राशि रूपये 44900/– पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनावेदकगण से परिवादी को दिलवाया जाये ।

(स) परिवादी को विपक्षी द्वारा कृषि कनेक्शन से विद्युत बंद कर देने से परिवादी को जड़ी–बूटियों में हुई लगभग रूपये 100000/– एक लाख की आर्थिक नुकसानी हुई वह भी परिवादी को अनावेदकगण से दिलवाई जावे ।

(द) परिवादी को चोरी का मनघडंत आरोप व्यक्तिगत द्वेष से लगाया गया तथा स्टॉफ, छात्र एवं रोगियों को घोर मानसिक वेदना एवं नुकसानी बतौर रूपये 100000/– एक लाख विपक्षी से परिवादी को दिलवाया जाए ।

(ई) परिवाद प्रस्तुत दिनांक से निर्णय दिनांक तक लगने वाले समस्त खर्च भी विपक्षी से परिवादी को दिलवाया जाए ।

(उ) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय लोकपाल उचित समझे वह भी विपक्षी से परिवादी को दिलवाया जाये ।

5. आवेदक/उपभोक्ता द्वारा फोरम में जो अनुतोष चाहा गया था, फोरम द्वारा उसे सकारण जो अनुतोष दिया गया था, उसके विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में जो अनुतोष चाहा गया है का तुलनात्मक विचार कर निष्कर्ष दिया जाना अपेक्षित है ।

6. आवेदक ने फोरम के समक्ष यह सहायता चाही कि 3 माह के अस्थायी विद्युत कनेक्शन के रूप में उससे 4250/– रू. का जो चार्ज लिया गया है वह उसे वापस दिलाया जाए ।

7. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी उसमें इस तथ्य का कोई विवरण नहीं किया गया है कि अस्थायी सिंचाई हेतु उसे 4250/– रू. उससे जमा कराए गये थे । शिकायत की कण्डिका – 1 में इस बात का विवरण है कि अनावेदक के कर्मचारियों द्वारा 300 मीटर तार निकाल कर ले

गये थे जिससे आवेदक द्वारा लिया गया अस्थाई विद्युत कनेक्शन बंद हो गया था, परन्तु अस्थायी कनेक्शन कब लिया गया तथा किस दिन यह बंद हुआ इसका कोई विवरण शिकायत पत्र का अवलोकन करने से ज्ञात नहीं होता है ।

8. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने से यह पाया था कि आवेदक उपभोक्ता ने दिनांक 07.11.2007 को सिंचाई हेतु 5 अश्व शक्ति का एक अस्थायी कनेक्शन लिया था । इस कनेक्शन का सिंचाई कार्य में उपयोग नहीं हो रहा था । पंचनामा के अनुसार शिकायतकर्ता के परिसर से स्टोर कटर, टिल्लू पंप जप्त किए गए थे ।

9. उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में फोरम ने यह आदेश दिया था कि उपभोक्ता ने अस्थायी कनेक्शन के लिए जो भुगतान किया था उसके लिए वह स्वयं जवाबदार है । अस्थायी कनेक्शन हेतु 3 माह के बिल की राशि गणना के अनुसार नियमानुसार उसे 1 माह के अन्दर लौटाना चाहिए ।

10. फोरम का यह आदेश क्यों उचित नहीं है, इसके संबंध में फोरम ने क्या गलती की है इसका कोई विवरण प्रस्तुत अभ्यावेदन में उपभोक्ता की ओर से नहीं दिया गया है । फोरम के प्रश्नगंत आदेश में किसी तरह की अवैधता या अनियमितता का होना नहीं पाया जाता है । आवेदक उपभोक्ता ने सिंचाई कार्य के लिए अस्थाई कनेक्शन लिया था । उक्त कनेक्शन से 3 माह की खपत के अनुसार विद्युत देयक को वसूलने का निर्देश देने के बाद शेष राशि उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया गया है । अतः आवेदक उपभोक्ता को पूरे 4250/– रू. वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है । अतः इस संबंध में उसकी ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है ।

11. आवेदक उपभोक्ता ने अभ्यावेदन में यह अनुतोष चाहा है कि उसे 400 मीटर का केबल वापस दिलाया जाए । फोरम ने 300 मीटर तार वापस दिलाने का आदेश दिया है । उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी, उसमें 300 मीटर तार अनावेदक के कर्मचारियों द्वारा निकालकर ले जाने और वापस दिलाने का निवेदन किया था । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता 400 मीटर तार वापस करने का अनुरोध किस आधार पर कर रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है । अतः इस संबंध में फोरम ने जो आदेश दिया है वह विधिसंगत है तथा इस बिन्दु पर उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है ।

12. फोरम के समक्ष आवेदक उपभोक्ता ने यह सहायता चाही थी कि उसके द्वारा जमा 38000/– रू. उसे वापस दिलाए जाए । इस संबंध में आवेदक उपभोक्ता ने अपने शिकायत पत्र की कण्डिका 6 में इस

आशय का निवेदन किया था कि अनावेदकगण द्वारा स्थायी एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जाने के कारण आवेदक को परेशानी का सामना करना पड़ा और उसने जुर्मानें की रकम में से 50 प्रतिशत रकम आपत्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जमा की गई । फोरम ने उपभोक्ता द्वारा जमा उक्त राशि का समायोजन अंतिम निर्धारण आदेश के अनुसार करने तथा शेष धनराशि कुल मासिक बिल में नियमानुसार लौटाने का आदेश दिया है । इस तथ्य से स्पष्ट है कि फोरम द्वारा इस बिन्दु के संबंध में उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत का निराकरण किया जा चुका है, अतः इस संबंध में उसकी ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है ।

13. आवेदक उपभोक्ता ने यह अनुतोष चाहा है कि उसके द्वारा जमा मीटर रिप्लेशमेंट चार्ज 2650/– रू. उसे वापस दिलाया जाए । इस बिन्दु के संबंध में आवेदक उपभोक्ता ने अपने आवेदन की कण्डिका – 7 में यह अभिवचन किया है कि अनावेदकगण द्वारा संस्था का मीटर बजरंग नगर कातर की झुग्गी झोपड़ियों के बीच पोल में लगाया गया है, जिस पर आवेदक संस्था की कोई निगरानी नहीं है । दिनांक 13.4.09 को यह मीटर जला था, अतः अनावेदक के कहने से उसे नया मीटर लगाने हेतु 2550/– रू. जमा किए थे । इस संबंध में फोरम ने यह आदेश दिया है कि ओवरलोडिंग के कारण मीटर जला था, जिसके लिए उपभोक्ता स्वंय जवाबदार है, अतः मीटर जलने की धनराशि उसे लौटाने का कोई कारण नहीं है, जबकि फोरम के आदेश के पृष्ठ – 5 में फोरम को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार दिनांक 01.05.08 को पंचनामा के अनुसार जप्त किए गये मीटर की जांच कराई गई थी और उसका परीक्षण कराया गया था तो मीटर में कोई खराबी नहीं पाई गई थी और पंचनामा में मीटर में सील तोड़ने, छेड़छाड़, टैम्परिंग के जो आरोप लगाए गए थे, वे असत्य पाये गये थे ।

14. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से इस तथ्य का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है कि प्रश्नगत मीटर उपभोक्ता की गलती से जला था, इसके विपरीत यह पाया जाता है कि प्रश्नगत मीटर में उपभोक्ता द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी । प्रश्नगत मीटर उपभोक्ता के परिसर में नहीं लगा था तथा उपभोक्ता ने उक्त मीटर को अपने परिसर में लगाने का अनुरोध किया था । अतः मीटर जलने के लिए उपभोक्ता को उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त मीटर कब लगाया गया था ? मीटर लगाने के कितने दिन बाद जला था ? इन तथ्य का मूल्यांकन किए बिना नए मीटर का मूल्य उपभोक्ता से वसूल किया गया था, जो उचित नहीं हैं । अतः अनावेदक लाईसेंसी द्वारा आवेदक से मीटर रिप्लेशमेंट चार्ज के रूप में जो 2650/– रू. जमा कराए गए थे उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी आवेदक उपभोक्ता को

पाया जाता है । अतः इस बिन्दु के संबंध में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है ।

15. अभ्यावेदन में आवेदक उपभोक्ता ने पानी की मोटर, कटर मशीन, पॉलिथिंग मशीन वापस दिलाने का अनुरोध किया है । आदेश की कण्डिका – 7 में फोरम ने उक्त समान वापस दिलाए जाने का आदेश दिया है, अतः इस बिन्दु के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

16. आवेदक उपभोक्ता ने अपने अभ्यावेदन में जमा राशि पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिलाए जाने का अनुरोध किया है । फोरम ने उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है तथा आदेश दिया है कि अन्तिम निर्धारण आदेश की धनराशि देय है और 4 किलोवॉट विद्युत भार अधिक पाया गया है उसके लिए फिक्स चार्जेज के बिल 1 वर्ष हेतु दुगुनी दर से टैरिफ प्रावधान के अनुसार की जाए । यदि 9 किलोवॉट हेतु न्यूनतम खपत से कम हो तो न्यूनतम यूनिट की टैरिफ अनुसार बिलिंग की जावे । टैरिफ में कोई प्रावधान नहीं हो तो बिलिंग शून्य होगी । फोरम द्वारा दिया गया यह निर्देश उचित तथा विधिसंगत नहीं है, इसका कोई स्पष्टीकरण आवेदक उपभोक्ता के अभ्यावेदन का अवलोकन करने से प्राप्त नहीं होता है ।

17. उपभोक्ता तथा वितरक के मध्य जिस राशि का लेन–देन किया गया वह अवैध है यह उपलब्ध तथ्यों से परिलक्षित नहीं होता है । अतः इन परिस्थितियों में जमा की गई राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी आवेदक उपभोक्ता को नहीं पाया जाता है। अतः इस बिन्दु पर उसकी ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किये जाने योग्य है ।

18. आवेदक उपभोक्ता ने अपने अभ्यावेदन में यह अनुरोध किया है कि कृषि कनेक्शन से विद्युत बंद करने देने से उसे एक लाख रू. की क्षति हुई है जो उसे दिलाई जाए । इस बिन्दु के संबंध में फोरम ने यह आदेश दिया है कि फोरम को सिविल कोर्ट के अधिकार नहीं है, अतः फोरम इस मांग को निरस्त करता है ।

19. फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत की कण्डिका – 8 में उपभोक्ता ने यह निवेदन किया है कि स्थायी एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन के अभाव में उसके द्वारा विकसित फार्म में 2 एकड़ भूमि पर उत्पन्न की जाने वाली जड़ी–बूटियां और वनस्पति पूरी तरह से नष्ट हो गई जिससे उसे लाखों रूपयों का नुकसान हुआ और बीमार व्यक्तियों के इलाज में काफी परेशानी हुई ।

20. आवेदक उपभोक्ता ने अपनी इस शिकायत के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा परिसर में जड़ी बूटियां लगाई गई थी तथा जल के अभाव में उनका नुकसान हुआ । उक्त बिन्दु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उसकी ऐसी शिकायत के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता है । उसे यदि आवेदक की गलती के कारण नुकसान हुआ था तो उसके द्वारा अनावेदक को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा लिखित नोटिस दिया जाना भी नहीं पाया जाता है । क्षतिपूर्ति की वास्तविक जानकारी उपलब्ध साक्ष्य से प्राप्त न होने के कारण आवेदक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता । अतः इस बिन्दु के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

21. अभ्यावेदन में उपभोक्ता ने यह अनुतोष भी चाहा है कि उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया है, अतः उसे मानसिक अनुतोष के रूप में एक लाख रू. दिलाया जाए उसे मामले का व्यय दिलाया जाए और अन्य सहायता भी दिलाई जाए । फोरम ने उपभोक्ता द्वारा चाहा गया उक्त अनुतोष नहीं दिलाया गया है ।

22. मानसिक वेदना के नुकसान के लिए शिकायत प्रस्तुत करने में हुए व्यय को दिलाए जाने का अधिकार भारतीय विद्युत अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम और विनियम में फोरम तथा औम्बडसमैंन को नहीं दिए गए हैं, अतः उक्त अनुतोष उपभोक्ता को फोरम तथा औम्बडसमैन द्वारा नहीं दिलाए जा सकते हैं ।

23. फोरम ने यह पाया है कि उपभोक्ता विद्युत लाईन पर सीधे तार डालकर हॉस्टल भवन निर्माण का कार्य किया था, जिसके लिए उसने कनेक्शन नहीं लिया था, अतः इस कार्य के लिए 2 बिलिंग की गई है, उसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति गणना दुगुनी कर दी गई है इसमें पृथक से 3000 रू. सामान्य शुल्क लेने का औचित्य नहीं था, क्योंकि सामान्य शुल्क की राशि विशेष न्यायालय के द्वारा शास्ति के रूप में ही आरोपित की जा सकती है, अतः फोरम ने यह राशि उपभोक्ता से वसूल न किए जाने का आदेश दिया है ।

24. फोरम ने यह भी आदेश दिया है कि उसके आदेश का पालन 20.07.11 को प्रस्तुत किया जाए तथा उसी दिन उपभोक्ता उपस्थित होकर लिखित में अपना प्रतिवेदन अद्यतन जानकारी की साथ प्रस्तुत करें । इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा क्या कार्यवाही की गई इसकी कोई जानकारी उसके अभ्यावेदन का अवलोकन करने से प्राप्त नहीं होती है ।

निष्कर्ष

25. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत इस शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए आदेश उस उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता तथा वितरण कम्पनी के मध्य विवाद दिनांक 07.01.2008 को वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर बनाए गए पंचनामा से होता है । उक्त पंचनामा के अनुसार निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि उपभोक्ता के महाविद्यालय के पीछे से खुले स्थान से जो कनेक्शन दिया गया था उसमें मीटर की टॉप खुली थी और उसकी जांच लैब में दिनांक 10.01.2008 को किए जाने का निर्देश दिया गया था । उपभोक्ता के परिसर में एक निर्माणाधीन हॉस्टल बिल्डिंग थी, जिस पर 3 फैस का तार डालकर भवन निर्माण कार्य में विद्युत का उपयोग किया जाना पाया गया था । सिंचाई कार्य के लिए एक अस्थायी कनेक्शन दिया गया था, लेकिन उक्त परिसर में कृषि हेतु सिंचाई नहीं की जा रही थी । इस पंचनामा में उपभोक्ता की ओर से यह टीप अंकित की गई थी कि फाउण्डेशन का जड़ी बूटी का फार्म हाऊस है, जिसके उपयोगार्थ कृषि कनेक्शन पृथक से लिया है । निर्माणाधीन भवन में जो इसी संस्था का वर्तमान में यह भवन हमने आशा जैन को किराए पर दिया है तथा उसने स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन दिया जा चुका है । संस्था के अधिकारी दिनांक 21.01.2008 को मीटर टैस्टिंग हेतु उपस्थित हो सकेंगे । उक्त पंचनामा बनाया जाने के बाद अन्तिम निर्धारण आदेश दिया गया, व्यक्तिगत् सुनवाई का अवसर दिया गया था । उपभोक्ता द्वारा इसके बाद फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई, लेकिन यह शिकायत पंचनामा के आधार पर नहीं थी । अनावेदक द्वारा पंचनामा के आधार पर कोई जवाब नहीं दिया गया । वैधानिक और अवैधानिक दोनों प्रकार की अनियमितताओं को एक ही में मिला दिया गया, क्योंकि मीटर में गड़बड़ी होना, सिंचाई हेतु अस्थाई कनेक्शन का उपयोग न किया जाना तथा परिसर में भवन निर्माण के लिए डायरेक्ट कनेक्शन लेकर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाना पृथक–2 तथ्य थे तथा इनके संबंध में पृथक–2 कार्यवाही अपेक्षित थी और इन संबंध में की गई पृथक–2 कार्यवाही के संबंध में पृथक–पृथक अनुतोष भी प्रदान किए जा सकते थे, क्योंकि यदि वितरण लाईसेंसी से वैध अनुमति प्राप्त किए बिना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा था तो यह तथ्य विद्युत चोरी की परिधि में आता है और इस संबंध में फोरम को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था ।

26. उपभोक्ता ने फोरम में जो शिकायत की थी उस शिकायत में मीटर रिप्लेशमेंट चार्ज के अतिरिक्त अन्य अनुतोष के संबंध में फोरम ने गुण–दोषों के आधार पर जो अनुतोष प्रदान किया है, वह उचित तथा विधिसंगत प्रतीत होता है । अतः मीटर रिप्लेशमेंट चार्ज के अतिरिक्त अन्य दूसरे अनुतोषों के संबंध में उपभोक्ता द्वारा जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे निरस्त किया जाता है परन्तु मीटर रिप्लेशमेंट

चार्ज के रूप में उपभोक्ता से अनावेदक द्वारा रू. 2550/– वसूल किए गए हैं, उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी उपभोक्ता को पाया जाता है । अतः इस बिन्दु के संबंध में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है ।

27. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता का अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर और उज्जैन के समक्ष एक माह की अवधि के अन्दर फोरम के आदेश का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा एक माह की अवधि के अन्दर ही उपभोक्ता से वसूल मीटर रिप्लेशमेंट चार्ज रू. 2550/– (दो हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र) उपभोक्ता को वापस कर उससे प्राप्त अभिस्वीकृति ली जावे तथा इसका पालन प्रतिवेदन भी फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

28. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति नियमानुसार उभयपक्ष को दी जावे ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल